न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 71 / 2020

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
श्रीमति रेणु चौधरी पत्नि धर्माराम जाति जाट निवासी साम्भरा हाल बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1. देवीलाल पुत्र खीवराज जाति महेश्वरी निवासी शेरगढ तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 2. पारसमल पुत्र लुम्बाराम जाति माली निवासी बालोतरा 3. बुद्वाराम पुत्र पाबुराम जाति विश्नोई निवासी रेवाडा बारठान तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 4. विशनाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी सिणधरी तहसील सिंणधरी जिला बाड़मेर 5. गोधुराम पुत्र गोकुलराम जाति जाट निवासी सुथारों की ढाणी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 6. आईदानराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी सुथारों की ढाणी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः– 1. श्री ओमप्रकाश डाबी वकील वादीनी

2. श्री गौतमचन्द प्रजापत वकील प्रतिवादी संख्या 3 एवं 6

अन्तिम डिक्री **दिनांक 19 अप्रेल 2021**

संक्षिप्त में वाद कथन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मण्डापुरा तहसील **पचपदरा** में स्थित भूमि खसरा नं0 397 रकबा 13–13 बीघा के सम्बन्ध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 26.02.2021 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार **पचपदरा** को मौके पर उभय पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार विभाजन कर प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार **पचपदरा** द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री विभाजन प्रस्ताव अपने पत्रांक 822 दिनांक 18.03.2021 से तैयार कर उपलब्ध कराया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व मोके पर सह खातेदारान मोतबरान व पड़ौसी काश्तकारों के रूबरू मोका देखा । उभय पक्ष को तलब कर उपस्थित वादी /प्रतिवादी के समक्ष विभाजन प्रस्ताव मोके के कब्जा काश्त एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे अंकित खातेदारों के अनुसार तैयार किया गया प्रतिवेदित हुआ है जिसे स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है।

वादीनी के वाद एवं विभाजन प्रस्ताव को फाईनल रूप से निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी पृथक–पृथक विभाजित की जाती है–

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:29:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	नाम खातेदार	नाम ग्राम	खसरा नं	रकबा (बीघा में)	किस्म भूमि	लगान (रु0)	नक्शा में अंकित रंग
1	गोधुराम पुत्र गोकुलराम जाति जाट निवासी सुथारो की ढाणी खातेदार	मण्डापुरा	397	1–08	बा.अ.	0–70	ए
2	आईदानराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी सुथारो की ढाणी खातेदार	मण्डापुरा	397	0–19	बा.अ.	0.475	बी
3	बिशनाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी सिणधरी	मण्डापुरा	397	2–00	बा.अ.	1–00	सी
4	पारसमल पुत्र लुम्बाराम जाति माली निवासी बालोतरा	मण्डापुरा	397	1–17	बा.अ.	0.925	डी
5	देवीलाल पुत्र खीवराज जाति महेश्वरी निवासी शेरगढ 1/2 हिस्सा बुद्धाराम पुत्र पाबुराम जाति विश्नोई निवासी रेवाडा बारठान 1/2 हिस्सा खातेदार	मण्डापुरा	397	4–14	बा.अ.	2.35	ई
6	श्रीमति रेणु चौधरी पत्नि धर्माराम जाति जाट निवासी साम्भरा खातेदार	मण्डापुरा	397	1–17	बा.अ.	0.925	एफ
7	गोधुराम पुत्र गोकुलराम जाति जाट निवासी सुथारो की ढाणी 2/18 हिस्सा, आईदानराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी सुथारो की ढाणी 1/18 हिस्सा बिशनाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी सिणधरी 2/18 हिस्सा, पारसमल पुत्र लुम्बाराम जाति माली निवासी बालोतरा 3/18 हिस्सा, देवीलाल पुत्र खीवराज जाति महेश्वरी निवासी शेरगढ 4/18 हिस्सा बुद्धाराम पुत्र पाबुराम जाति विश्नोई निवासी रेवाडा बारठान 2/18 हिस्सा श्रीमति रेणु चौधरी पत्नि धर्माराम जाति जाट निवासी साम्भरा 4/18 हिस्सा खातेदार	मण्डापुरा	397	0–18	बा.अ.	0.45	जी

तहसीलदार बालोतरा को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार नामांतकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें संलग्न नामातरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे राजस्व रिकार्ड में विधिवत रूप से वर्तमान रेकर्ड के अनुसार बाद जांच अमल दरामद करके राजस्व रिकार्ड की सत्यप्रतियों सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करे। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। वकील वादी स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत करने पर डिग्री पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करें।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 19 अप्रेल 2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:29:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

[illegible]

(Civil Procedure Code Appendex 'd' 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीनी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

श्रीमति रेनु चौधरी पत्नि धर्माराम जाति जाट निवासी सम्भरा हाल बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

1. देवीलाल पुत्र श्रीवजराज जाति महेश्वरी निवासी शेरगढ तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
2. पारसमल पुत्र लुम्बाराम जाति माली निवासी बालोतरा
3. बुद्धाराम पुत्र पाबुराम जाति विश्नोई निवासी रेवाड़ा बारठान तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
4. किशनाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
5. गोधुराम पुत्र गोकुलराम जाति जाट निवासी सुथारों की ढाणी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
6. आईदानराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी सुथारों की ढाणी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

_राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम_

राजस्व वाद संख्या – 71 / 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु न्यायालय बहाजरी श्री ओमप्रकाश डाबी वकील वादीनी बिलजानिब श्री मोतनचन्द प्रजापत मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीनी के वाद एवं विभाजन प्रस्ताव का फाईनल रूप से निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त अराजी पृथक–पृथक विभाजित की जाती है–

क्र. सं.	नाम खातेदार	नाम ग्राम	खसरा नं.	रकबा (बीघा में)	किस्म भूमि	लगान (रू.)	नक्शा में अंकित रंग
1	गोधुराम पुत्र गोकुलराम जाति जाट निवासी सुथारों की ढाणी खातेदार	मण्डापुरा	397	1–08	बा.अ	0–70	ए
2	आईदानराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी सुथारों की ढाणी खातेदार	मण्डापुरा	397	0–19	बा.अ	0.475	बी
3	किशनाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी सिणधरी	मण्डापुरा	397	2–00	बा.अ	1–00	सी
4	पारसमल पुत्र लुम्बाराम जाति माली निवासी बालोतरा	मण्डापुरा	397	1–17	बा.अ	0.925	डी
5	देवीलाल पुत्र श्रीवजराज जाति महेश्वरी निवासी [illegible] 1/2 हिस्सा बुद्धाराम पुत्र पाबुराम जाति विश्नोई निवासी रेवाड़ा बारठान [illegible] हिस्सा खातेदार	मण्डापुरा	397	4–14	बा.अ	2.35	ई

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:29:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

6	[illegible]	[illegible]	97	1 17	बा.प	0.925	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	97	0 14	बा.प	0.45	[illegible]	

को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार नामांतकरण भरकर बाद जांच तस्दीक [illegible] [illegible] पृष्ठ पर तत्मीम अंकित करे राजस्व रिकार्ड में विधिवत रूप से वर्तमान रेकर्ड के अनुसार बाद जांच [illegible] [illegible] रिकार्ड की सत्यप्रतियों सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करे। विभाजन नक्शा इस निर्णय का [illegible] होगा। [illegible]

मुवक्लिम बाबत

खर्चा इस मुव [illegible] व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारिख वसूलयाबी तक को अदा करे।

दसखत मेरे [illegible] व मुहर अदालत के आज तारिख 19.0[illegible].2021 को जारी की गई।

मुदई	रुपया	पै	मुददयलाह	रुपया	पै
स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प [illegible] स्टाम्प [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] तुम्मनामा [illegible] [illegible]	4 00 [illegible] 00		स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प अरजी महताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय तुम्मनामा नुक्तरीक गवाहान	1-00	

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:29:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner